Phone & Fax no. 0135&2658294 ई–मेल : cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय–वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

पत्रांक 1814 /12-1(1) देहरादून, दिनांक 05 मार्च, 2021

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद–देहरादून के विधानसभा डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकंला तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FU/UK/ROAD/ 37612/2018)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0–8बी/यू0सी0पी0/06/88/2020/एफ0सी0/2043, दिनांक 28–12–2020 एंव आपका ई0डी0एस0, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

महोदय,

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र में इंगित आनलाईन आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 सं0 2614/12–1, दिनांक 25 जनवरी, 2021(प्रति संलग्न) से आनलाईन इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,देहरादून।

पत्रांक 1814 /12-1(1)/तददिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके पत्र सं0 2614/12–1, दिनांक 25 जनवरी, 2021के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,देहरादून।

दूरभाष : (0135)–2627612, फैक्स : (0135)–2627950
ई–मेल : dfodoon@gmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक :2614 /12–1 देहरादून, दिनांक 25 जनवरी, 2021.

सेवा में,
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाहींकलां तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/Road/37612/2018)

संदर्भ : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 88 / 2020 / एफ0सी0 / 2043, दिनांक 28–12–2020.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का इस कार्यालय व प्रस्तावक विभाग के स्तर पर निराकरण कर वांछित सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन पाट–। व पार्ट–॥ में अपलोड कर दी गयी है व तदक्रम में प्रयोक्ता इकाई द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–कैम्प / 23सी0 दिनांक 12–01–2021 (यथा–संलग्न) के द्वारा प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। निस्तारित विवरण निम्न प्रकार दर्शित है :

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No.-1, no correction has been made at para B 2.4 in Part-I and only an undertaking regarding the stabilization of muck uploaded in Part-I. State Govt. may provide the correct information at Para B 2.4 in Part-I and submit a complete muck disposal plan with detailed comments and plan on muck stabilization.	इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण हेतु 4.463 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है, जिसका विवरण परिवेश पोर्टल पर पार्ट–। के पैरा B-2.4 में अपडेट किया गया है। साथ ही उक्त उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु विस्तृत मक डिस्पोजल प्लान भी तैयार किया गया है, जिसको प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट–। में अपलोड कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या–2 का उत्तर मान्य योग्य नहीं है। डिजिटल मैप के बिन्दु क0–35 के आगे जनसंख्या 170 दर्शायी गई है, जो सही नहीं है। अतः राज्य सरकार मार्ग को पुनरीक्षित कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	सम्बन्धित आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है कि डिजिटल मैप में क्रमांक–35 के आगे प्रस्तावित समरेखण नाहीकलां कोटला तोक तक जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 84 है, जो ग्राम सभा नाहीकलां के अन्तर्गत आता है। साथ प्रयोक्ता इकाई द्वारा स्थानीय जनता के सुविधार्थ प्रश्नगत मार्ग की अनिवार्यता / उपयोगिता के सम्बन्ध में मूल तथ्यों को समावेशित करते हुए संशोधित प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसको परिवेश पोर्टल के पार्ट–। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ अपलोड किया गया है।
3	In reply to point No-3, State Government has not submitted the pointwise reply of point-4, 5, 6, 10, 11, 12, 16 & 17 of EDS letter dt. 13-08-2020, which may be submitted now.	उक्त आपत्ति में वर्णित बिन्दु सं0 -4, 5, 6, 10, 11, 12, 16 व 17 जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार के पूर्व में जारी पत्र सं0–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 88 / 2020 / एफ0सी0 / 959, दिनांक 13–08–2020 द्वारा निर्गत EDS में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में सन्दर्भित

Scanned by CamScanner

पत्र द्वारा उक्त बिन्दुओं पर ही स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके अनुपालन में उपर्युक्त दर्शित बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत है :–

बिन्दु–4 : प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक संरेखण किये जाने के अपेक्षा के क्रम में संज्ञानार्थ है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु वैकल्पिक संरेखण के दृष्टिगत वर्तमान में चिन्हित भूमि पर विद्यमान वृक्षों की तुलना में अन्य क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है, जिस कारण सम्यक विचारोपरान्त अभिकथित वन भूमि का चयन किया गया तथा इसके अनुसार ही परिवेश पोर्टल पर पार्ट–। के पैरा–D(ii) में अन्य वैकल्पिक वन भूमि के विवरण में "No" अंकित किया गया है, जिसके समादर में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध गया है, जिसे पार्ट–। में अतिरिक्त सूचना पर अपलोड किया गया है।

बिन्दु सं0–5 : इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि कोटला तोक ग्राम सनगांव–नाहीकलां के अन्तर्गत है, जिस कारण ग्राम कोटला की पृथक रूप से VLC Proceedings की आवश्यकता नहीं है, जिसके निमित्त प्रस्तावक विभाग द्वारा एक प्रामण पत्र भी पार्ट–। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकन हेतु अपलोड किया गया है।

बिन्दु सं0–6 : अवगतनीय है कि कथित परियोजना हेतु हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 3.238 है0 वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए थानों रेंज के अन्तर्गत ग्राम सनगांव के खाता सं0–95 के खसरा संख्या–408ख कुल रकबा 7.0640 है0 क्षेत्रफल में से 6.476 है0 सिविल भूमि वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। देहरादून वन प्रभाग द्वारा उक्त सिविल भूमि की Ground Truthing कराने के पश्चात इस भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसे परिवेश पोर्टल के पार्ट–। व पार्ट–।। में अतिरिक्त सूचना के स्तम्भ में अपलोड किया गया है।

बिन्दु सं0–10 : प्रश्नगत परियोजना/मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र/स्थल राजाजी टाईगर रिजर्व से 18.00 किमी0 की दूरी पर विद्यमान है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परिवेश पोर्टल के पार्ट–। व पार्ट–।। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

बिन्दु सं0–11 : सम्बन्धित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि यथा आरक्षित वन भूमि 2.013 व सिविल भूमि 1.225 है0 अर्थात कुल 3.238 है0 भूमि, के अनुसार ही परिवेश पोर्टल के पार्ट–I में यथास्थान भूमि का विवरण अपडेट किया गया है।

बिन्दु सं0–12 : अभिकथित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित क्षेत्र पहाड़ी (Hilly) है, जिसमें भू–क्षरण होने की सम्भावना के दृष्टिगत सम्बन्धित क्षेत्र में भू–कटाव (Soil Erosion) की रोकथाम हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा Breast Wall/Retaining Wall आदि का तार–जाल के साथ निर्माण किया जायेगा। प्रयोक्ता इकाई द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी बचनबद्धता के तौर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसको परिवेश पोर्टल के पार्ट–I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–16 : उक्त आपत्ति के क्रम में संज्ञान में लाना है कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु 2450.5851 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण हुआ है, जिनमें से एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2727.0662 है0 क्षेत्रफल प्रस्तावित है, जिसका प्रगति विवरण निम्नवत् है :–

कुल हस्तान्तरित वन भूमि (है0 में)	एक है0 से अधिक हस्तान्तरित वन भूमि के प्रकरणों के सापेक्ष कुल आवंटित सी0ए0 (है0 में)	देहरादून वन प्रभाग द्वारा सम्पादित सी0ए0 (है0 में)	देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत अवशेष सी0ए0 (है0 में)	अन्य वन प्रभागों में प्रस्तावित सी0ए0 (है0 में)	अन्य वन प्रभागों व देहरादून वन प्रभाग के स्तर पर कुल अवशेष सी0ए0 (है0 में)
2450.585	2727.0662	2208.74	211.276	307.0502	518.3262

बिन्दु सं0–17 : इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसके अनुसार ही अधोहस्ताक्षरी व वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त की स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) में विवरण अंकित किया गया है व तदनुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) को परिवेश पोर्टल के पार्ट–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ अपलोड किया गया है।

4	In reply to point No.-4, no correction has been made. State Govt. may submit the details of trees in cm as provided at para-4 in Part-I online.	इस परिप्रेक्ष्य में अवगतनीय है कि परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की प्रगणना सूची को संशोधित करते हुए उक्त को से0मी0 के परिमाप में परिवर्तित कर तदनुसार प्रभावित वृक्षों की सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट–II के पैरा–4 में अपडेट कर

Scanned by CamScanner

		दी गयी है। साथ ही उक्त संशोधित सूची को पार्ट–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड की गयी है, कृपया अवलोकन करना चाहें।
5	In reply to point No.-05, still the number of trees mentioned in SIR of CF is 389 and in other document its 390 trees. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.	वृक्षों की प्रगणना सूची के क्रम में अभिलेखों में भिन्नता परिलक्षित होने के क्रम में अवगतनीय है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में विभिन्न प्रजाति के कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं व तदनुसार वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त की स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) में वृक्षों की सूचना अंकित कर दी गयी।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 2614 (1)/ तदि्दनांकित।
प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)
Office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/Fax No. : 0135-2430660   Email : eetdrisk.pwduk@gov.in

पत्रांक : 150 /23सी0   देहरादून, दिनांक : 19 जनवरी, 2021.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाहींकलां तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/Road/37612/2018)

संदर्भ : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0–8बी/यू0सी0पी0/06/88/2020/एफ0सी0/2043, दिनांक 28–12–2020.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का इस कार्यालय स्तर पर निराकरण कर वांछित सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन पाट–। में अपलोड कर दी गयी है। बिन्दुवार निस्तारित विवरण निम्न प्रकार दर्शित है :–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No.-1, no correction has been made at para B 2.4 in Part-I and only an undertaking regarding the stabilization of muck uploaded in Part-I. State Govt. may provide the correct information at Para B 2.4 in Part-I and submit a complete muck disposal plan with detailed comments and plan on muck stabilization.	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण हेतु 4.463 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है, जिसका विवरण परिवेश पोर्टल पर पार्ट–। के पैरा B-2.4 में अपडेट किया गया है। साथ ही उक्त उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु विस्तृत मक डिस्पोजल प्लान भी तैयार किया गया है, जिसको पार्ट–। में अपलोड कर दिया गया है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।
2	बिन्दु संख्या–2 का उत्तर मान्य योग्य नहीं है। डिजिटल मैप के बिन्दु क0–35 के आगे जनसंख्या 170 दर्शायी गई है, जो सही नहीं है। अतः राज्य सरकार मार्ग को पुनरीक्षित कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	सम्बन्धित आपत्ति के क्रम में उल्लेखनीय है कि डिजिटल मैप में क्रमांक–35 के आगे प्रस्तावित समरेखण नाहीकलां कोटला तोक तक जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 84 है, जो ग्राम सभा नाहीकलां के अन्तर्गत आता है। स्थानीय जनता के सुविधार्थ प्रश्नगत मार्ग की अनवार्यता/उपयोगिता के सम्बन्ध में मूल तथ्यों को समावेशित करते हुए संशोधित प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसका परिवेश पोर्टल के पार्ट–। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ अपलोड किया गया है।
3	In reply to point No-3, State Government has not submitted the pointwise reply of point-4, 5, 6, 10, 11, 12, 16 & 17 of EDS letter dt. 13-08-2020, which may be submitted now.	उक्त आपत्ति में वर्णित बिन्दु सं0–4, 5, 6, 10, 11, 12, 16 व 17 जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार के पूर्व में जारी पत्र सं0–8बी/यू0सी0पी0/06/88/2020/एफ0सी0/959 दिनांक 13–08–2020 द्वारा निर्गत

Scanned by CamScanner

		बिन्दुओं पर ही स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके अनुपालन में उपर्युक्त दर्शित बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत है :—
		बिन्दु—4 : प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक संरेखण की अपेक्षा के क्रम में संज्ञानार्थ है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु वैकल्पिक संरेखण के दृष्टिगत वर्तमान में चिन्हित भूमि पर विद्यमान वृक्षों की तुलना में अन्य क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है, जिस कारण सम्यक विचारोपरान्त अभिकथित वन भूमि का चयन किया गया तथा इसके अनुसार ही परिवेश पोर्टल पर पार्ट—I के पैरा—D(ii) में अन्य वैकल्पिक वन भूमि के विवरण में "No" अंकित किया गया है, जिसके समादर में प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिसे पार्ट—I में अतिरिक्त सूचना पर अपलोड कर दिया गया है।
		बिन्दु सं0—5 : इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कोटला तोक ग्राम सनगांव—नाहीकलां के अन्तर्गत है, जिस कारण ग्राम कोटला की पृथक रूप से VLC Proceedings की आवश्यकता नहीं है, जिसके निमित्त एक प्रामण पत्र भी पार्ट—I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकन हेतु अपलोड किया गया है।
		बिन्दु सं0—6 : अवगतनीय है कि कथित परियोजना हेतु हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 2.238 है0 वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए थानों रेंज के अन्तर्गत ग्राम सनगांव के खाता सं0—95 के खसरा संख्या—408ख कुल रकबा 7.0640 है0 क्षेत्रफल में से 6.476 है0 सिविल भूमि वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। देहरादून वन प्रभाग द्वारा उक्त सिविल भूमि की Ground Truthing कराने के पश्चात इस भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर वन विभाग द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसे परिवेश पोर्टल के पार्ट—I में अतिरिक्त सूचना के स्तम्भ में अपलोड किया गया है।
		बिन्दु सं0—10 : प्रश्नगत परियोजना/मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र/स्थल राजाजी टाईगर रिजर्व से 18.00 किमी0 की दूरी पर विद्यमान है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परिवेश पोर्टल के पार्ट—I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।
		बिन्दु सं0—11 : सम्बन्धित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि यथा आरक्षित वन भूमि

Scanned by CamScanner

		2.013 व सिविल भूमि 1.225 है0 अर्थात कुल 3.238 है0 भूमि, के अनुसार ही परिवेश पोर्टल के पार्ट–I में यथास्थान भूमि का विवरण अपडेट किया गया है। बिन्दु सं0–12 : अभिकथित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित क्षेत्र पहाड़ी (Hilly) है, जिसमें भू–क्षरण होने की सम्भावना के दृष्टिगत सम्बन्धित क्षेत्र में भू–कटाव (Soil Erosion) की रोकथाम हेतु Breast Wall/ Retaining Wall आदि का तार–जाल के साथ निर्माण किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र भी बचनबद्धता के तौर पर प्रेषित किया जा रहा है, जिसको परिवेश पोर्टल के पार्ट–I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है। बिन्दु सं0–16 : इस बिन्दु पर पृच्छित सूचना के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग के स्तर पर स्थिति स्पष्ट की जायेगी। बिन्दु सं0–17 : कथित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण में विभिन्न प्रजाति के कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वृक्षों की प्रगणना सूची वन विभाग द्वारा तैयार की गयी है, जिसमें तकनिकी विवरण वन विभाग के स्तर पर दिया जाना अपेक्षित है।
4	In reply to point No.-4, no correction has been made. State Govt. may submit the details of trees in cm as provided at para-4 in Part-I online.	इस आपत्ति में प्रत्याशित सूचना वन विभाग के स्तर पर दी जायेगी।
5	In reply to point No.-05, still the number of trees mentioned in SIR of CF is 389 and in other document its 390 trees. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.	सम्बन्धित बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित निस्तारण वन विभाग के स्तर पर किया जाना है।

अतः सन्दर्भगत प्रकरण में उक्तवत् वर्णित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश।

Scanned by CamScanner